



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/53/2017/एफ.सी. 1826

दिनांक: 16-2-18

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/23705/2017

विषय: बदायूं में मेरठ-बदायूं मार्ग एस0एच0-18 के किमी0 163.00 से 208.400 तक किमी0 चैनेज 162.000 से 207.400 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 64.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10647 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 12.02.2018 की कार्यवाही (REC Agenda item 24.5-UP)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-69/14-2-2017-800(59)/2017, दिनांक- 01.08.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण को दिनांक- 12.02.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 24.5-UP) शामिल किया गया था जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार बदायूं में मेरठ-बदायूं मार्ग एस0एच0-18 के किमी0 163.00 से 208.400 तक किमी0 चैनेज 162.000 से 207.400 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 64.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 14875 वृक्ष (30 सेमी0 गोलाई (Girth) से अधिक) एवं 11256 पौधों (30 सेमी0 गोलाई (Girth) से कम) के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (64.6x2= 129.20 ha.) अर्थात् 129.20 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

16-2-18

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र- 11-306/2014-एफ0सी0(pt.), दिनांक- 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद् में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

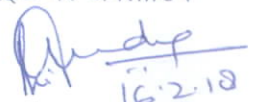
उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बंदायू, उ0 प्र0।
5. अधिशासी अभियन्ता, रा0 मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बंदायू, उ0 प्र0।
- ✓ 6. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली


16.2.18
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}